न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 93/2024 अन्तर्गत धारा 183, 188, 91 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
खेतदान पुत्र गुमानदान जाति चारण, निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. भवरदान पुत्र अम्बादान 2. तिलोकदान पुत्र भवरदान जाति चारण, निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाडमेर 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29.05.2026

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी का खेत मौजा ओलेचा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 66/20 रकबा 8.0937 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आयी हुई। उक्त सेढा को लेकर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर तारबंदी करके अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाई हुई है, जिसमें वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 66/20 भूमि की पैमाईश कर मौके पर पक्के नेखम स्थापित किये गये व सीमा पर बिन्दु संख्या 1 से 4 कायम किये गये। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 वादी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। वादी द्वारा जब प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो इस पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादी की खातेदारी मे से कब्जा हटाने से इकार कर दिया गया है, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। उक्त विवादित आराजी का वादी रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर निर्माण सामग्री को जब्त कर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादी को दिलवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से मौका एवं रेकर्ड के सबध मे तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के संबंध मे खसरा नम्बर 66/20 की पैमाईश कर मिलान करने पर पूर्व में नेखमबंदी नक्शे में दर्शाये अनुसार बिन्दु संख्या 1 कोने पर भवरदान पुत्र अम्बादान द्वारा लगभग 01.00 बीघा भूमि पर चीणों की पट्टियां रोप कर व तारबदी कर कब्जा किया हुआ है, जिसे मौका फर्द के संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाया गया है। वादी साक्ष्य में साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को जब्त करते हुए कब्जा वादी को दिलवाने जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एव मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध मे तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के संबंध मे खसरा नम्बर 66/20 की पैमाईश कर मिलान करने पर पूर्व में नेखमबंदी नक्शे में दर्शाये अनुसार बिन्दु संख्या 1 कोने पर भंवरदान पुत्र अम्बादान द्वारा लगभग 01.00 बीघा भूमि पर बीणों की पट्टियां रोप कर व तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है, जिसे मौका फर्द के संलग्न नक्शे मे बरग लाल दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश कर वादी के खातेदारी खेत से प्रतिवादीगण का कब्जा व अतिक्रमण हटाने के लिए निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण व कब्जा किया हुआ साबित होने पर वादी अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण व कब्जा हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा ओलेवा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 66/20 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)